



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, बेबसाईट : [bseapatna@gmail.com](mailto:bseapatna@gmail.com)

पटना/ दिनांक 22.04.2026

## अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-20/2024 1519 प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 3319 दिनांक 30.12.2025 द्वारा चान्दवारी पैक्स, प्रखंड- चांदन, जिला- बांका के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। मतदाता सूची पर विवाद के कारण उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 283 दिनांक 05.02.2026 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व नामांकन, सवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था।

अतः उक्त आलोक में चान्दवारी पैक्स के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-3319 दिनांक 30.12.2025 के क्रम में निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

(i)	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखते हुए संशोधित कार्यक्रम का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशन	28.04.2026 (मंगलवार)
(ii)	मतदान	05.05.2026 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(iii)	मतगणना	05.05.2026 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iv)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	07.05.2026 (गुरुवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में चान्दवारी पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कडिका- (1) से (5) में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, चांदन, बांका इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 30.04.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ कार्यालय से अलग-किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या- 3319 दिनांक 30.12.2025 के परिशिष्ट-1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 07.05.2026 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या- 3319 दिनांक 30.12.2025 की शेष बातें यथावत् रहेंगी।

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 पटना/ दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 पटना/ दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.), बांका/ पुलिस अधीक्षक, बांका/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (सं.सं.), बांका/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.), चांदन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 पटना/ दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 पटना/ दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 पटना/ दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि: प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 /पटना, दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1019 पटना/ दिनांक 22.4.2026

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव।